



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक तंत्र, मन्दाकिन विनिर्माण, 38, जनपथ, नई दिल्ली-110001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753573

230 / टीबी / 2021

दिनांक : 10.01.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

इन्स्टैंट वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड, इवा तल, सैम्सन टावर्स, कासा मेजर रोड, एम्मेर, चेन्नई-600 008 द्वारा भारत के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-V की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के सम्मल आवेदन किया गया है।

2. इन्स्टैंट वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड को अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के सम्मल किए गए आवेदन की प्रति, उसके अनुबंधों और संलग्नकों के साथ, वेबसाइट www.instantventure.com से प्राप्त की जा सकती है या निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टि में आवेदक विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने का पात्र है और आयोग ने दिनांक 8.1.2022 के आदेश द्वारा आवेदक को संपूर्ण भारत में विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-V की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. आयोग द्वारा यथा पूर्वोक्त विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हो, आमंत्रित करने के लिए अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अनुसार में एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 28.1.2022 तक उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. आयोग अंतिम निपटान के लिए सही अनुक्रम में तारीख निर्धारित करेगा और वह व्यक्ति जिसने सुझाव या आपत्तियाँ दायर की हैं, अपने विवेक से सुनवाई में उपस्थित हो सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

हस्ता./-
(सनोज कुमार झा)
सचिव